

ACMS

2020/000

12/01/2021

अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्रीमति कल्पा देवी

हलका नेहरो की ढाणीपति मुत्र श्री दीकमारास जाति जाटनिवासी- नेहरो की ढाणी

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं.23...वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
24-7-2020	पटवारी हलका <u>नेहरो की ढाणी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा <u>नेहरो की ढाणी</u> के खसरा नंबर <u>205</u> रकबा <u>0-1280-40</u> किस्म भूमि <u>अ.मु.स.स.</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जायें। पत्रावली दिनांक <u>13-8-2020</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
13-8-2020	पत्रावली माफ पेश हुई। प्राप्ताप द्वारा जारी नोटिस माफ लामिल प्राप्त। तारीख पेशी बढाई जाकर पत्रावली दिनांक <u>26-8-2020</u> को पेश है।  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
26-8-2020	पत्रावली माफ पेश हुई। गैर सायल माफि। गैर सायल को एक और भवत दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>16-9-2020</u> को पेश है।  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	



16-9-2020

पत्रावली भ्रष्ट पेश हुई। गैर साधल अनुपालिते।  
गैर साधल के जवाब हेतु भवतर दिना  
जाकर पत्रावली दिनांक 22-10-2020 के पेश हो।

तहसीलदार सिंगधरी  
जिला-बाड़मेर

22-10-2020

पत्रावली भ्रष्ट पेश हुई। गैर साधल  
अनुपालिते। गैर साधल के जवाब हेतु  
एक और भवतर दिना जाकर पत्रावली  
दिनांक 28-10-2020 के पेश हो।

तहसीलदार सिंगधरी  
जिला-बाड़मेर

28-10-2020

पत्रावली भ्रष्ट पेश हुई। गैर साधल अनुपालिते।  
गैर साधल के अतिक्रमी माने हुए एकर फा  
कार्यवाही अमल के लाई जाकर पत्रावली के तल  
सुमार हो। निर्णय अलग ले लिखा जाकर  
शामिल पत्रावली हो। पत्रावली के तल सुमार  
होकर शिखिल इफतर हो।

तहसीलदार सिंगधरी  
जिला-बाड़मेर